किस्म मुकदमा..............................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर हुक्म
29.1.25	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान हाजिर। बहस उभयपक्षकारान अधिवक्तागण सुनी गई। कौशल्या सांखला तिवाड़ी की ओर से [illegible] पत्रावली पर विधिवत् [illegible] [illegible] एवं [illegible] किया गया, जिसके आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य उचित प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर आ.पत्र. किया गया। पत्रावली फैसला शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [initials]	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद

—:: न्यायालय उपजिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा ::—
बईजलास रामावतार मीना (आर.ए.एस.)

मिसल न0 11/2022

बउनवान
1. सुनिता पत्नी स्व0 ओमप्रकाश जाति किराड
2. अंशुल पुत्र स्व0 ओमप्रकाश जाति किराड
3. देवांशी पुत्री स्व0 ओमप्रकाश जाति किराड
निवासीगण लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा। —प्रार्थीगण—

बनाम

मोहनलाल पुत्र मथुरालाल जाति कुमावत निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — अप्रार्थी—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आर टी एक्ट

उपस्थिति :—
प्रार्थी की ओर से:— श्री बहादुर सिंह एडवोकेट
अप्रार्थी न01की ओर से :— श्री किशोरीलाल चौधरी एडवोकेट

—:: आदेश ::— दिनांक:— 29/01/2023

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त उनवान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आर टी एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का कुराडिया खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नई 2 के खसरा न0 551 की 0.01हेक्टर व खसरा न0 552 की 3.43हेक्टर कुल 2 किता की कुल 3.44हेक्टर आराजी स्थित है, जिसे प्रार्थीगण बहैसियत काश्तकार शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की आराजी के लगवा अप्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का कुराडिया खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नई 204 के खसरा न0 504/1उत्तरी की 1.44हेक्टर व खसरा न0 505/1उत्तरी की 0.38 हेक्टर कुल 2 किता की 1.82हेक्टर आराजी स्थित है। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर आने जाने का रास्ता पूर्वजो के समय से कोटडी रोड से पूर्वी तरफ खसरा न0 505/1 व 504/1 की उत्तरी तरफ करीबन 15–20फुट चौडी मेड थी, जिस से होकर प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से आते जाते व रास्ते के रूप मे उपयोग उपभोग करने व अपने कृषि यन्त्र बैलगाडी ट्रेक्टर ट्रोली, हार्वेस्टर आदि लाने ले जाने के काम मे आती रही है, उक्त मेड पर स्थित प्रार्थीगण के पीढियो पुराने रास्ते को अप्रार्थी द्वारा फाडकर

2.....

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

सांगोद

अपने खेत मे मिला लिया है, और प्रार्थीगण के उक्त आने जाने के रास्ते को बन्द कर दिया है, प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने का उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नही है, प्रार्थीगण उक्त रास्ते का अपने पूर्वजो के समय उपयोग उपभोग करते चले आने से प्रार्थीगण को उक्त रास्ते का सुखाधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण एक माह पूर्व अपने खेत पर हंकाई जुताई कर फसल बोने हेतु ट्रेक्टर लेकर गये, तो प्रार्थीगण की जानकारी मे आया, कि अप्रार्थी ने उक्त रास्ते को फाडकर अपने खेत मे मिला लिया, तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को खुलासा करने का निवेदन करने पर भी नही माने, और रास्ता छोडने से मना कर दिया है, जबकि प्रार्थीगण कोटडीरोड से खसरा न0505/1 व 504/1 की उत्तरी मेड पर करीबन 12फुट चौडाई मे प्रार्थीगण के खेत तक रास्ता प्राप्त करने हेतु बिगडने वाली अप्रार्थी की आराजी को देने व माननीय न्यायालय के आदेशानुसार नियमानुसार बनने वाली प्रतिकर राशि भी अदा करने के लिए तैयार है, जिसके बावजूद भी रास्ता नही छोडने से प्रार्थीगण के लिए माननीय न्यायालय मे उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने व अपने साधन व कृषि यन्त्र आदि लाने ले जाने का कोटडी रोड से खसरा न0505/1 व 504/1 की उत्तरी मेड पर होकर ही एक मात्र रास्ता है, उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है, यदि उक्त रास्ता पूर्ववत खुलासा नही करवाया गया, तो प्रार्थीगण की आराजी रास्ते के अभाव मे पडत रह जावेगी।जिससे प्रार्थीगण को काफी अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य मे नही हो सकेगी, साथ ही अप्रार्थी को रास्ते मे जाने वाली आराजी के बदले आराजी व अन्य प्रतिकर राशि प्रार्थीगण देने के लिए तत्पर है, जिससे अप्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति या नुकसान होने का प्रश्न नही उठता है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा अप्रार्थी की तलबी की गई, अप्रार्थी की ओर से श्री किशोरीलाल चौधरी एडवोकेट द्वारा अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, तदुपरान्त उक्त विवादित स्थान के मौके की मौका रिर्पोट तलब की गई, तथा वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई, जिसके बाद न्यायालय मे प्रस्तुत तहसीलदार सांगोद की मौका रिर्पोट व पत्रावली पर विद्यमान तथ्यो का गहनता से अवलोकन किया गया, साथ ही मौका रिर्पोट मे स्पष्ट रूपसे सबसे कम दूरी का सुलभ रास्ता होना बताया गया है, जिसके आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य उचित प्रतीत होता है, जो स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आदेश दिया जाता है, कि प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने के रास्ते कोटडी रोड से अप्रार्थी के माल ग्राम लक्ष्मीपुरा

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उपख... अधिकारी सांगोद

पटवार हल्का कुराडिया खुर्द तहसील सांगोद के खसरा न0505 / 1 व खसरा न0 504 / 1 की उत्तरी मेड पर 250मीटर लम्बी व 4मीटर चौडाई कुल 1000वर्गमीटर गै मु0 रास्ते के रूपमे मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, तथा उक्त गै मु रास्ते की भूमि की एवज मे प्रार्थीगण के खाते की माल ग्राम लक्ष्मीपुरा के खसरा न0 552 की आराजी मे से कुल 1000वर्गमीटर भूमि कम की जाकर अप्रार्थी के माल ग्राम लक्ष्मीपुरा के खसरा न0 504 / 1 की आराजी मे सम्मलित कर अप्रार्थी के खाते दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है, उक्त आदेश की पालना मे राजस्व रेकार्ड व नक्शाट्रेस मे अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है, तथा उक्त पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 29/01/2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीना)
आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner